संख्या-10/2023/016/18-2-2023/18-2002/18/2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 01 फरवरी, 2023

विषय :- PLEDGE: निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना।

महोदय,

प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी स्थापना हेतु वातावरण निर्माण एवं आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि इन उद्योगों की स्थापना हेतु प्राथमिक आवश्यकता भूमि है। एम0एस0एम0ई0 की इकाईयों के द्वारा कृषि के बाद सबसे अधिक रोज़गार का सृजन किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसी लगभग 95 लाख इकाईयां हैं, जिन्हें और अधिक बढ़ाया जाना प्रदेश के हित में है।

2- औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु 'निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना PLEDGE (Promoting Leadership and Enterprise for Development of Growth Engines)' लागू की जा रही है, जिसे निजी प्रवर्तक के द्वारा Build, Own, Operate (BOO) के आधार पर संचालित किया जायेगा, जिसकी रूपरेखा/क्रियान्वयन निम्नवत होगा:-

1. इस योजना के अन्तर्गत इच्छुक निजी प्रवर्तकों द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के स्वामित्व के कागजात

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं आगणन सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु होना चाहिए।

2. प्रवर्तक के द्वारा क्लस्टर पर आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

3. योजनान्तर्गत निजी प्रवर्तकों द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 01 इकाई को भू-खण्ड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में से 75 प्रतिशत भू-खण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।

उदाहरण: यदि 10 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक पार्क बनाया जाता है तो उसमें न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयां होंगी। इसी प्रकार 25 एकड़ पर बने पार्क में न्यूनतम 25 इकाइयां होंगी।

4. निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक (pledge) रखा जाएगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे निजी औद्योगिक पार्कों के भू-खण्डों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा।

6. प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क तक पहुँच मार्ग का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के द्वारा विद्यमान नीति के अन्तर्गत कराया जाएगा।

7. इस योजना के अन्तर्गत रू0 2,500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड का कारपस बनाया जायेगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 300 करोड़ का बजट प्राविधानित है। कारपस फंड का उपयोग 05 वर्ष में बजट के माध्यम से कर लिया जायेगा। योजना को SIDBI की Soft Borrowing Window Facility के साथ Synchronise करने का प्रयास किया जायेगा। कारपस फंड का प्रबंधन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के अधीन होगा।

8. इस योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ भूमि पर एम0एस0एम0ई0 पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिशत अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु आवश्यक धनराशि में से जो भी कम हो, एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करायी जायेगी। शेष पूँजी की व्यवस्था निजी प्रवर्तक द्वारा स्वयं के स्रोतों से अथवा बैंक से ऋण लेकर करनी होगी।

9. औद्योगिक पार्क के आंतरिक विकास के लागत की गणना अधिकतम रू0 50 लाख प्रति एकड़ की दर से की जायेगी। इस दर में आवश्यकतानुसार संशोधन उच्चाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा।

10. शासकीय ऋण पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि से रिवाल्विंग फण्ड/कारपस के प्रशासन पर आने वाले व्यय का वहन किया जायेगा। इस हेतु आउटसोर्सिंग के आधार पर सी0ए0, लेखाकार, प्रबंधक आदि जैसी आवश्यक जनशक्ति को रखा जा सकेगा।

11. औद्योगिक पार्क में वांछित अवस्थापना सुविधाओं यथा- बाउन्ड्री वाल/फेन्सिंग, आंतरिक मार्ग (कंक्रीट रोड), नाली, कलवर्ट, विद्युत संयोजन मय ट्रान्सफार्मर, पेय जल सुविधा एवं सीवेज इत्यादि सुविधाओं का विकास मानक के अनुरूप निजी प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा।

12. विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि दो समान किश्तों में दी जायेगी। पहली किश्त के 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग हो जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी जायेगी।

13. प्रथम तीन वर्षों तक प्रवर्तक को दी गयी धनराशि पर एक (01) प्रतिशत का साधारण ब्याज लिया जायेगा। चौथे वर्ष से कारपस फंड से दी गयी धनराशि पर छः (06) प्रतिशत की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लिया जाएगा।

14. योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी पूँजी को वापस करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि वापस न किये जाने की स्थिति में निजी प्रवर्तक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी गयी भूमि राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो जाएगी, जिसका राजस्व नियमों के अंतर्गत विक्रय कर राज्य सरकार बकाया वसूल करेगी। छः (06) वर्ष के पश्चात ऋण की धनराशि पर 07 प्रतिशत (सात प्रतिशत) वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. प्रवर्तक यदि चाहे तो समय से पूर्व भी पूरा शासकीय ऋण वापस कर सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

16. प्रवर्तक द्वारा संबंधित जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र सहित परियोजना का विस्तृत आगणन एवं भूमि के स्वामित्व के कागजात संबंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका जनपद स्तरीय समिति से परीक्षण होने के उपरान्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा एवं प्रवर्तक के पक्ष में लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा।

17. औद्योगिक पार्क में विकसित भूखण्डों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि एस्क्रो खाते में रखी जाएगी एवं परियोजना के विभिन्न स्टेक-होल्डर को उनके द्वारा दिए गये निवेश के अनुरूप वापस की जाएगी।

18. यह एक Stand alone योजना होगी। विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2022 में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुकूल अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सहायता प्रवर्तक को प्रदान नहीं की जाएगी। भूमि की खरीद योजना के क्रियान्वयन प्रारम्भ होने के पश्चात की गयी होनी चाहिए।

19. प्रवर्तक/विकासकर्ता के द्वारा विकसित निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखण्ड को क्रय करने अथवा लीज पर लेने पर क्रेता उद्यमी को स्टाम्प शुल्क से छूट निम्नवत दी जाएगी:-

(क) पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत,

(ख) मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद को छोड़ कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत,

(ग) गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद में 50 प्रतिशत,

(घ) महिला उद्यमियों को प्रदेश में कहीं भी उद्यम स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से छूट दी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि निजी प्रवर्तकों द्वारा पार्क में भवन निर्माण करके औद्योगिक इकाइयों को किराये पर दिये जाने अथवा बिक्रय किये जाने पर किरायानामा विलेख/बैनामा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

3- योजनान्तर्गत परियोजना के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-

<u>जिला स्तरीय समिति</u>

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(3)	संबंधित तहसील का उप जिलाधिकारी	सदस्य
(4)	मुख्य कोषाधिकारी	सदस्य
(5)	अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(6)	अधिशासी अभियन्ता ऊर्जा विभाग	सदस्य
(7)	उपायुक्त उद्योग	सदस्य सचिव

<u>राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति</u>

(1)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0 विभाग	अध्यक्ष
(2)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(5)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
(6)	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग	सदस्य सचिव

4- इस योजना के किसी भी बिंदु पर आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्द्धन मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त योजना का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रांजल यादव
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।